9/11/17 पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थी अनुप्रार्थी/ अप्रार्थी सं० 02 मयजरिये ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी खसरा नं० का एक वाद न्याय आपके द्वारा दौरान अन्तरखाता में निर्णीत हो चुका है। अतः इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता तो उक्त स्थगन आदेश के वापस एवं निर्णय की पालना नहीं हो पा रही है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

रेकर्ड का अवलोकन किया। एवं में उक्त खसरा नं० से संबंधित एक वाद इस न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका है। अतः इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner